Name of the Paper : हिन्दुस्तान

Published at : Delhi

Date : 30 OCT 2009

लाली मामले में कोर्ट का फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली(का.सं.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रसार भारती के सीईओ बी एस लाली को सेवाविस्तार दिए जाने के मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है।

मुख्य न्यायाधीश ए पी शाह और न्यायाधीश एस मुरलीधर की पीठ ने लाली के सेवाविस्तार को चुनौती देने वाली याचिका पर सभी पक्षों की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया। सरकार के इस फैसले को सही बताते हुए एडीशनल सोलिसिटर जनरल पराग त्रिपाठी ने कहा कि सरकार ने प्रसार भारती कानून में बदलाव कर सीईओ के कार्यकाल के लिए उम्र सीमा 62 साल से बढ़ाकर 65 साल कर दी।

इस बीच लाली के वकील मनिंदर सिंह ने याचिका के मकसद पर ही सवालिया निशान लगाते हुए इसे खारिज करने की मांग की। याचिका में सेवाविस्तार को गैरकानूनी बताते हुए दलील दी गई है कि 2006 में नियुक्ति के बाद लाली को इस साल अप्रैल में रिटायर हो जाना था।